राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

प्रगति प्रतिवेदन
2021-22

KHADI
राजस्थान
खादी
RAJASTHAN

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

प्रवृत्तियां

एवं

प्रगति

2020–2021

एवं

2021–22

(दिसम्बर, 2021 तक)

KHADI
राजस्थान
खादी
RAJASTHAN

प्रवृत्तियां एवं प्रगति 2021–22

राजस्थान में खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन राज्य विधान सभा द्वारा पारित राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अप्रेल, 1955 में किया गया। बोर्ड में अध्यक्ष के अतिरिक्त 12 सदस्य होते है, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते है जिसमे कम से कम 8 गैर सरकारी सदस्य होते है जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। वर्तमान में अध्यक्ष पद रिक्त है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 24(26)उद्योग/ग्रुप–2/1972 जयपुर दिनांक 18.07.2019 के द्वारा राज्य सरकार के विधिवत रूप से बोर्ड का गठन होने तक खादी बोर्ड के अध्यक्ष के कार्य निस्तारण तथा शक्तियों के उपयोग हेतु प्रमुख शासन सचिव, (एम.एस.एम.ई.) को प्राधिकृत किया गया है।

बोर्ड द्वारा कर्त्तव्यों के पालन एवं मंत्रणा देने के लिये निम्नांकित स्थाई समितियों का गठन किया जाता है:–

1. कार्यकारिणी समिति
2. स्थाई अर्थ समिति
3. चयन सेवा समिति

तदर्थ समितियों के गठन का भी प्रावधान है। आवश्यकतानुसार समय समय पर ऐसी समितियां विभिन्न कार्यो के लिये गठित की जाती हैं।

1. प्रशासनिक व्यवस्था :

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 की धारा 8 (क) एवं 9 के अन्तर्गत सचिव तथा वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

बोर्ड का प्रशासनिक ढांचा निम्नानुसार है:–

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का संगठनात्मक ढाँचा

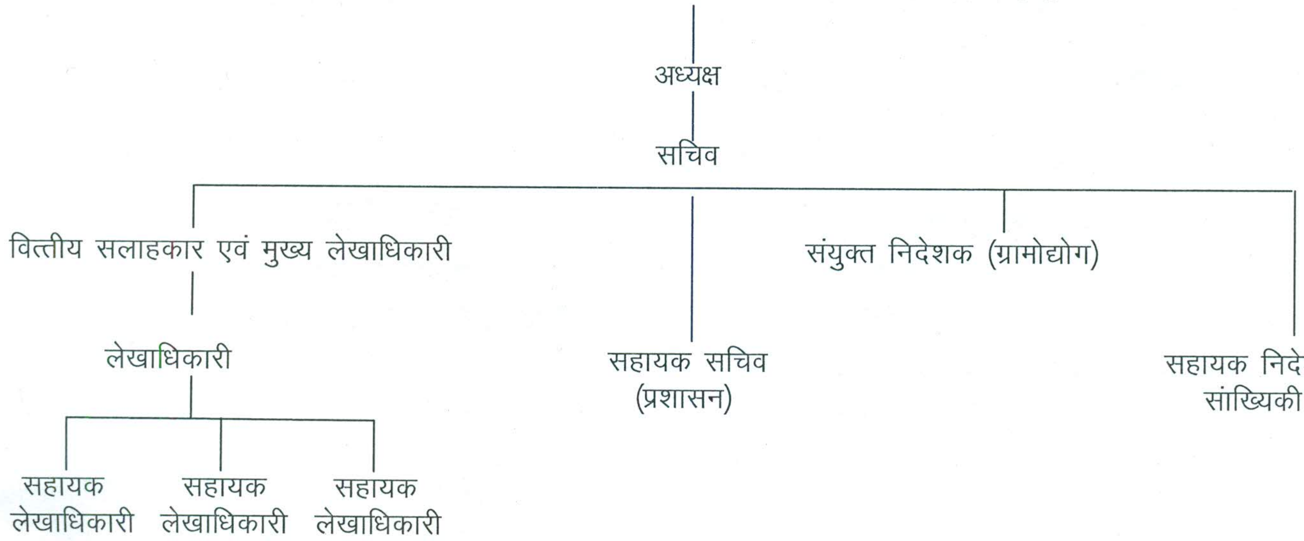

संचालक मण्डल
बोर्ड के कुल सदस्य–12
(1) पदेन सदस्य– 4
(2) गैर सरकारी सदस्य–8

जिला स्तर
संभाग अधिकारी (खादी)–7

बोर्ड के व्यवासायिक केन्द्र
1. 'ग्राम्या' खादी हैण्डीक्राफ्ट एम्पोरियम, पांच बत्ती, जयपुर
2. 'संकुल' खादी हैण्डीक्राफ्ट एम्पोरियम, मानसरोवर, जयपुर
3. ऊन अनुभाग, बाडमेर
4. ऊनी उत्पत्ति केन्द्र,बीकानेर

प्रशिक्षण केन्द्र
1. प्रशिक्षण केन्द्र, पुष्कर (अजमेर)
2. प्रशिक्षण केन्द्र, सांगानेर ('संकुल' मानसरोवर, जयपुर
3. प्रशिक्षण केन्द्र माउण्ट आबू (सिरोही)

(अ) बोर्ड के उद्देश्य एवं कार्य :

1. खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास की योजना बनाना।
2. कार्यक्रम संगठित करना और उनकी क्रियान्विति करना।
3. निम्न आय वर्ग के लोगों एवं कारीगरों को खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
4. कारीगरों को प्रशिक्षण देना।
5. कच्चे माल की व्यवस्था तथा तैयार माल का विपणन करना।
6. कारीगरों में सहकारी भावना को विकसित करना, आदि।

(ब) खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण :

क्र.सं.	नाम पद	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	सचिव	1	1	–
2	वित्तीय सलाहकार मुख्य लेखाधिकारी	1	1	–
3	संयुक्त निदेशक	1	–	1
4	उप निदेशक(खादी/ग्रामो.)	4	–	4
5	सहायक सचिव(प्रशासन)	1	–	1
6	लेखाधिकारी	1	1	–
7	निजी सहायक अध्यक्ष	1	–	1
8	सहायक निदेशक(सांख्यिकी)	1	–	1
9	सहायक लेखाधिकारी	3	–	3
10	सहायक निदेशक(खादी)	3	–	3
11	जिला उद्योग अधिकारी	6	1	5
12	कार्यालय अधीक्षक	1	–	1
13	लेखाकार	4	–	4
14	सांख्यिकी सहायक	3	3	–
15	कनिष्ठ लेखाकार	6	2	4

16	निरीक्षक सह अंकेक्षक	5	1	4
17	कार्यालय सहायक	4	—	4
18	शीघ्र लिपिक	3	1	2
19	पर्यवेक्षक प्रथम	50	14	36
20	वरिष्ठ लिपिक	24	7	17
21	कनिष्ठ लिपिक	36	23	13
22	वाहन चालक	4	1	3
23	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	41	29	12
	योग	**204**	**85**	**119**

नोटः— कनिष्ठ लेखाकार 09 पद, सहायक निदेशक 04 पद, सूचना सहायक 10 पद व कनिष्ठ विधि अधिकारी 01 पद बी.एफ.सी. वर्ष 2020—21 में स्वीकृत किये गये है, जिनकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

बी.एफ.सी. में समाप्त किये गये 63 पदों मे से बोर्ड द्वारा प्रस्तावित 50 पदों को समाप्त करने के उपरान्त शेष रहे 13 पदों (जिला उद्योग अधिकारी के 05 पद, वरिष्ठ लिपिक के 06 पद व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 02 पद) को यथावत रखने एवं नवीन पदों को (सांख्यिकी अधिकारी 01 पद, जिला उद्योग अधिकारी 01 पद एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 09 पद) की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होना प्रक्रियाधीन है।

2. खादी कार्यक्रम :

राज्य में प्रमुख रूप से ऊनी एवं सूती खादी उत्पादन होता है। राजस्थान में ऊनी खादी के उत्पादन का विशाल क्षेत्र है। यहां पर देश के कुल उत्पादन की लगभग 45 प्रतिशत ऊन उत्पादित होती है। वर्ष 2020—2021 के अन्त तक खादी क्षेत्र में राज्य में 224 संस्था/समितियों को अनुदानित किया गया। वर्तमान में कार्यरत खादी संस्था/समितियों की संख्या 145 है।

(अ) लघु खादी परियोजना

खादी क्षेत्र में रोजगार के विषय को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2007—08 से "फैशन फॉर डवलपमेंट" ए न्यू खादी इनिशिएटिव योजना प्रारंभ की गई। योजना का मुख्य उद्देश्य (1) वर्ष पर्यन्त 250—300 दिवसों तक कत्तिन/बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराना, (2) कत्तिन/बुनकरों की दैनिक मजदूरी को करीब दो गुनी से चार गुनी तक बढाना, (3) गुणवत्ता युक्त अधिक उत्पादन, (4) कत्तिन/बुनकरों के कार्यस्थल की परिस्थितियों में सुधार करना है। इस योजना अन्तर्गत वर्ष 2007—08 से 2010—11 तक 13 खादी कलस्टर स्थापित किये गये।

वित्तीय वर्ष 2011–12 में इस योजना को संशोधित कर लघु खादी परियोजना शुरू की गयी जिसमें कार्यशील पूंजी का भी प्रावधान किया गया है। इसके अन्तर्गत एकल संस्था को लाभान्वित किया जाता है। प्रत्येक संस्था को राशि रु. 26.32 लाख अनुदान एवं राशि रु 8.68 लाख कार्यकारी पूंजी ऋण कुल राशि रू. 35.00 उपलब्ध कराये जाने का योजना में प्रावधान था।

वर्ष 2014–15 में योजना में आंशिक संशोधन करते हुए प्रत्येक संस्था को पूंजीगत व्यय हेतु राशि रु. 15.00 लाख का अनुदान एवं राशि रु. 10.00 लाख कार्यकारी ऋण उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2011–12 से 2020–21 तक 32 खादी संस्था/समितियों को लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 2021–22 में राशि रू. 75.00 लाख का बजट प्रावधान है। 02 संस्था/समितियों के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

(ब) खादी भण्डार नवीनीकरण कार्यक्रम :–

राज्य में खादी ग्रामोद्योग आयोग एवं राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से सम्बद्ध खादी संस्थाओं द्वारा संचालित खादी ग्रामोद्योग भण्डारों के द्वारा खादी ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री की जाती है। आयोजना बजट वर्ष 2006–07 में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग भण्डारों के नवीनीकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया था। जिसके अधीन विभिन्न जिलों में वर्ष 2020–21 तक 172 खादी ग्रामोद्योग भण्डारों का नवीनीकरण हो चुका है। नवीनीकृत हुये खादी ग्रामोद्योग भण्डारों की वार्षिक बिक्री में बढोतरी हुई है। वर्ष 2021–22 में 170.00 लाख का बजट प्रावधान है। 06 संस्था/समितियों के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

(स) खादी विकास फण्ड योजनाः

राज्य की खादी संस्थाओं को कच्चा माल क्रय करने व कत्तिन बुनकरों को पारिश्रमिक का भुगतान करने हेतु वर्ष 2013–14 में यह योजना प्रारम्भ की गई थी। इस हेतु राज्य सरकार से वर्ष 2013–14 में 250.00 लाख एवं 2014–15 में 250.00 लाख कुल 500.00 लाख प्राप्त हुये थे। यह राशि राज्य की खादी/संस्था समितियों को ब्याज रहित ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है जिसकी वसूली 2 वर्ष पश्चात् छः माही 18 किश्तों में होती है। इसकी अधिकतम सीमा 15.00 लाख निर्धारित की गई है। वर्ष 2020–21 तक 85 खादी संस्था/समितियों को इस योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 2021–22 में 6 संस्था/समितियों के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

(द) रिवाल्विंग फण्ड योजनाः

मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2019–20 बिन्दू संख्या 78 की अनुपालना स्वरूप प्रदेश में खादी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ायें जाने, परम्परागत खादी वस्त्रों के उत्पादन के साथ–साथ नवीन व आधुनिक खादी वस्त्रों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने खादी के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढाने तथा कार्यरत खादी मजदूर कतिन–बुनकर व कामगारों को आर्थिक उत्थान की दिशा में खादी

संस्थाओं को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध कराए जाने की दिशा में रिवाल्विंग फण्ड की राशि 3.00 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 10.00 करोड़ की घोषणा की गयी है। जिसके फलस्वरूप वर्ष 2020–21 में 31 संस्थाओं को राशि 443.50 लाख की स्वीकृतियॉ जारी की जा जाकर 22 संस्था/समितियों को 283.82 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

(य) उत्पादन एवं रोजगार :

राज्य में वर्ष 2019–20 में खादी क्षेत्र में वित्त पोषित संस्था/समितियों द्वारा किये गये उत्पादन एवं रोजगार प्राप्त कर रहे व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :–

वर्ष	उत्पादन (लाख रू. में)			
	ऊनी खादी	सूती खादी	योग	रोजगार सं.(स्तर)
2019–20	1258.75	6305.80	7564.55	15144
2020–21	3828.46	3920.89	7749.35	21348
2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक)	2453.67	3807.45	6221.12	18139

3. खादी बिक्री/प्रोत्साहन कार्यक्रम :

(अ) रिबेट :–

खादी की बिक्री को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से गांधी जयन्ती के अवसर पर खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उत्पादन पर विपणन विकास सहायता योजना अन्तर्गत खादी की बिक्री पर छूट प्रदान की जाती है तथा राज्य सरकार द्वारा भी खादी बिक्री पर विशेष छूट दी जाती है।

वर्ष 2019–20 में महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती पर राज्य सरकार द्वारा खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर 02.10.2018 से 01.10.2019 तक 5 प्रतिशत की दर से एवं 02.10.2019 से 28.02.2020 तक 35 प्रतिशत की दर से विशेष रिबेट दी गई एवं वर्ष 2019–20 में रिबेट के लिए 17.50 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया। संस्था/समितियों को 01 मार्च 2019 से 29.11.2019 तक के प्राप्त रिबेट क्लेम राशि रू. 17.50 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है एवं 30.11.2019 से 28.02.2020 तक कुल रिबेट क्लेम 1242.00 लाख के प्राप्त हुए है। जिसका भुगतान वर्ष 2020–21 में प्रावधित बजट 1000.00 लाख प्राप्त होने पर संस्था/समितियों को भुगतान किया जा चुका है। शेष रिबेट राशि रू. 242.00 लाख का भुगतान संस्था/समितियों को किए जाने हेतु कोष कार्यालय को भिजवाया जा चुका है।

वर्ष 2020–21 हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य उत्पादित खादी वस्त्रों के फुटकर बिक्री पर 02.10.2020 से 31.12.2020 तक 5 प्रतिशत की दर से रिबेट स्वीकृति प्रदान की गई है।इस अवधि की

बिक्री राशि रू. 27.75 करोड़ एवं रिबेट राशि रू. 139.00 लाख के ऑडिट क्लेम प्राप्त हुये है, जिसका मॉग पत्र राज्य सरकार को भिजवाया जाकर राशि प्राप्त होने पर भुगतान किया जा सकेगा।

वर्ष 2021–22 हेतु राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी जयन्ती के अवसर पर 02 अक्टूबर, 2021 से 30 जनवरी, 2022 तक राज्य उत्पादित खादी वस्त्रों के फुटकर बिक्री पर 35 प्रतिशत की दर से रिबेट (छूट) दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 हेतु 2000.00 लाख के बजट प्रावधान की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ब) प्रचार प्रसार :–

राज्य में उत्पादित खादी ग्रामोद्योग उत्पादों की एक निर्धारित ब्राण्ड के अन्तर्गत बिक्री करने के उद्देश्य से ''राजस्थान खादी'' के ''लोगो'' को लोकार्पित किया जा चुका है, और जिसके अन्तर्गत राज्य में उत्पादित सभी खादी ग्रामोद्योग उत्पादों को ब्राण्डेड करने के प्रयास किये जा रहे है। बैनर, होर्डिंग्स तथा फोल्डर व ब्रोशर एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, एफ.एम. रेडियो चैनल्स, पत्र पत्रिकाओं व सोशल मीडिया आदि के द्वारा खादी ग्रामोद्योग उत्पादों एवं योजनाओं का प्रचार प्रसार समय समय पर किया जाता रहा है। ''लोगो'' के साथ साथ खादी ग्रामोद्योग उत्पादों के प्रचार प्रसार हेतु हस्त निर्मित कागज से कैरी बैग्स व ''लोगो'' तथा चरखा चलाती हुई कतिन के चित्र युक्त दूध/ कॉफी मग्स भी बनवाये गये थे। वर्ष 2018–19 में कुल राशि रू. 64.84 लाख का एवं वर्ष 2019–20 कुल राशि 54.70 लाख रूपये का व्यय किया गया। वर्ष 2020–21 मे माह मार्च 2021 तक कुल 25.72 लाख रूपये व्यय किया गया है। वर्ष 2021–22 मे दिसम्बर 2021 तक कुल राशि 11.37 लाख रूपये का व्यय हो चुका है।

(स) खादी ग्रामोद्योग उत्पादों में गुणवत्ता सुधार :–

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में खादी में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य खादी बोर्ड द्वारा सूती व ऊनी खादी में फैब्रिक के आधुनिक नये डिजाइन तैयार कराये गये और इनसे आधुनिक फैशन के खादी परिधानों के प्रोटोटाइप भी तैयार कराये गये । वर्ष 2007–08 में आयोजना बजट अध्याधीन स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत फैशन डिजाइनरों से आधुनिक डिजाइन व रंग विन्यास में खादी के परिधानों की श्रृंखला तैयार करवाकर उनके ''लेबल'' के साथ बिक्री हेतु उपलब्ध कराने के क्रम में स्थानीय फैशन डिजाइनरों द्वारा तैयार परिधानों की बिक्री जयपुर में ''ग्राम्या'' खादी भण्डार में प्रारम्भ की गई है।

माह अक्टूबर 2018 में दिनांक 24.10.2018 से 26.10.2018 तक राजस्थान हैरिटेज फैशन वीक का डिग्गी पैलेस, जयपुर में आयोजन किया गया एवं वर्ष 2019–20 में दिनांक 27–28 सितम्बर 2019 को जयपुर बॉय नाईट कार्यक्रम सिटी पैलेस जयपुर मे आयोजित किया गया जिसमे खादी बोर्ड द्वारा सहभागिता दी गई। जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय फैशन डिजाईनर ढाका (बांग्लादेश) एम.एस.बी.बी. रसैल एवं अन्य फैशन डिजाईनरों द्वारा खादी के डिजाईन युक्त परिधानों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया गया।

वर्ष 2019–20 में डिजाईनर वस्त्रों के निर्माण (सिलाई) के कार्य हेतु फैशन डिजाईनर श्री अमरेश सिंह को दिया जाकर, उनके निर्मित फैशनेबल खादी परिधान, खादी बोर्ड के बिक्री केन्द्र ग्राम्या खादी हैण्डीक्राफ्ट एम्पोरियम पर विक्रय हेतु उपलब्ध है। वर्ष 2020–21 हेतु डिजाईनर वस्त्रों के निर्माण (सिलाई) के कार्य हेतु फैशन डिजाईनर फरहा अंसारी एवं रीटा दास की विषय विशेषज्ञ सेवाऐ ली गई है। वर्ष 2021–22 मे दिसम्बर 2021 तक कोई विषय विशेषज्ञ की सेवाये नही ली जा रही है।

(द) एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर खादी एण्ड वी.आई. (अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ) :–

राज्य में उत्पादित खादी /ग्रामोद्योग उत्पादो के अन्तर्राष्ट्रीय प्रर्दशनियों/मेलों में प्रचार प्रसार व बिक्री सवंर्द्धन हेतु वर्तमान पंचवर्षीय योजना में काहिरा (इजिप्ट), अदीस अबाबा (इथोपिया), पेरू–चिली (दक्षिणी अमेरिका) व थिम्पू (भुटान), मैक्सिको सिटी (मैक्सिको) में आयोजित प्रर्दशनियो में 13 खादी संस्थाओं/वित्त पोषित ग्रामोद्योग इकाईयों को राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा भारत सरकार के उपक्रम इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आरगनाईजेशन व खादी ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से प्रायोजित किया गया। वर्ष 2013–14 में दो खादी संस्थाओं को मिलान (इटली) अर्न्तराष्ट्रीय प्रर्दशनी में प्रायोजित किया गया है। वर्ष 2015–16 में तीन ग्रामोद्योगी इकाईयों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रायोजित किया गया है। वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 में राज्य सरकार द्वारा अर्न्तराष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों आयोजन के सम्बन्ध में भाग लेने हेतु इस मद में कोई प्रस्ताव प्रस्तावित नही किया गया। वर्ष 2021–22 में दिसम्बर 2021 तक इस मद में कोई प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है।

(य) हायरिंग ऑफ सर्विसेज ऑफ प्रोफेशनल्स एण्ड एक्सपर्ट्स :–

विषय विशेषज्ञों यथा फैशन डिजाइनर्स, प्रबन्धकीय विशेषज्ञ, कम्प्यूटर फोटो शॉप डिजाईनिंग ऑपरेटर, टैक्सटाईल इंजीनियर आदि की सलाहकारीय सेवाएं राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ के माध्यम से रिटेनरशिप के आधार पर अनुबंध अन्तर्गत लिया जाना प्रावधित है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में 1 फैशन डिजाइनर, 1 एम.बी.ए., एवं 1 डिजाईनर टेलर की सेवाऐं राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ के माध्यम से रिटेनरशिप पर ली गई। वर्ष 2018–19 में इस मद में बोर्ड बिक्री केन्द्र ग्राम्या के लिये बार कोडिग कार्य हेतु सेवाये ली गई हैं। वर्ष 2019–20 मे बोर्ड बिक्री केन्द्र के रिवेम्पिग (Revamping) के लिये सेवाये ली गई है जिस पर कुल 80,600 रूपये व्यय किये गये है। वर्ष 2020–21 मे बोर्ड बिक्री केन्द्र के रिवेम्पिग (Revamping) के लिये सेवाये ली गई है जिस पर 1.00 लाख रूपये व्यय किये गये है वर्ष 2021–22 मे अभी तक सेवाये नही ली गई।

(र) राज्य में प्रदर्शनियो का आयोजन :–

राज्य में विभिन्न जिलों में खादी तथा ग्रामोद्योग उत्पादो के बिक्री सवंर्द्धन हेतु खादी ग्रामोद्योग प्रर्दशनियॉ राज्य खादी बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग आयोग व राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ एवं

खादी संस्थाओं द्वारा परस्पर समन्वय कर आयोजित की जाती है। वर्ष 2018–19 में तक 3 जिला स्तरीय प्रदर्शनी में कुल बिक्री 73.92 लाख रूपये की, एक सभांग स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी, उदयपुर में कुल बिक्री 1.52 करोड रूपये की व राष्ट्रस्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी, जयपुर में कुल बिक्री 3.30 करोड रूपये की एवं बंसन्तोत्सव 2019 खादी प्रदर्शनी, जयपुर जिसमें बिक्री 8.10 लाख रूपये की गई।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में 5 जिला स्तरीय प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें बिक्री 214.54 लाख रूपये की और एक संभाग स्तरीय प्रदर्शनी, जिसमे बिक्री 2.47 करोड रूपये दर्ज की गई। महात्मा गॉधी जी की 150वीं जयंति के उपलक्ष्य मे एक राज्यस्तरीय प्रदर्शनी खादी मेला, शिल्पग्राम, जयपुर मे आयोजित किया गया, जिसमे बिक्री 1.06 करोड रूपये की हुई। दो दिवसीय खादी एक्सपों प्रदर्शनी, बिडला सभागार, जयपुर मे आयोजित की गई, जिसमें बिक्री 0.37 लाख रूपये की बिक्री की गई। राष्ट्रस्तरीय खादी मेला 2019, रामलीला मैदान जयपुर (दिनांक 13.12.19 से 13.01.2020 तक) में आयोजित किया गया, जिसमे कुल 4.07 करोड रूपये की बिक्री की गई। खादी फैब्रिक एवं खादी के वैश्वीकरण का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 30–31 जनवरी 2020 को आयोजित किया गया जिसमे दो दिवसीय खादी प्रदर्शनी मे, बिक्री 1.70 लाख रूपये की रही। वर्ष 2020–21 मे दिनांक 5.3.21 से दिनांक 20.3.21 तक 16 दिवसीय राष्ट्रस्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन राजस्थान खादी ग्रामाद्योग संस्था संघ बजाज नगर जयपुर के परिसर मे संयुक्त तत्वाधान मे किया गया जिसमे कुल 25.31 लाख रू की बिक्री की गई। वर्ष 2021–22 मे राष्ट्रस्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन दिनांक 22.11.21 से दिनांक 31.12.2021 तक किया गया जिसमे कुल 434 लाख रूपये की बिक्री की गई। वर्ष 2021–22 में एक संभाग स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी उदयपुर शहर में एवं 05 जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है संभाग स्तरीय प्रदर्शनी में कुल 1.81 करोड रूपये एवं 01 जिला स्तरीय प्रदर्शनी बीकानेर में 45.67 लाख रूपये की बिक्री रही।

(ल) खादी बिक्री प्रोत्साहन

(अ) फैशन शो :– वर्ष 2019–20 मे खादी वस्त्रो/परिधानो का प्रदर्शन एवं प्रचार प्रसार हेतु राष्ट्रस्तरीय खादी मेला 2019 मे खादी फैशन शो का आयोजन दिनांक 28.12.2019 को रामलीला मैदान, न्यू गेट जयपुर मे किया गया। इस फैशन शो का संचालन फैशन डिजाईन काउंसिल आफ राजस्थान, मानसरोवर जयपुर के द्वारा 30 मॉडल्स के रैम्प वॉक के द्वारा खादी परिधानो का प्रदर्शन किया गया। उक्त आयोजन मे राशि 3.94 लाख रूपये का व्यय हुआ। वर्ष 2021–22 मे दिनांक 11.12.21 को खादी फैशन शो का आयोजन किया गया जिसमे कुल 24 मॉडल्स के द्वारा प्रस्तुत किया

गया। वर्ष 2020–21 में राजस्थान कल्चर एवं हैरीटेज फैशन शो जवाहर कला केन्द्र में दिनांक 18.2.21 को एवं होटल क्लाकर्स आमेर मे दिनांक 30.3.2021 को शांदिया ब्राईडल फैशन एवं ज्वैलरी शो किया गया जिसमे खादी बोर्ड की सहभागिता रही।

(व) अंतर्राज्यीय प्रदर्शनी हेतु सहायता :–

राज्य में उत्पादित खादी /ग्रामोद्योग उत्पादो के अंतर्राज्यीय प्रर्दशनियों/मेलों में प्रचार प्रसार व बिक्री सवंर्द्धन हेतु राजस्थान की खादी ग्रामोद्योगी संस्थाओं/समितियों/वित्त पोषित ग्रामोद्योगी इकाइयों के द्वारा उत्पादित उत्पादों की बिक्री की काफी सम्भावनायें रहती है। खादी संस्थाओं/समितियों/वित्त पोषित इकाइयों के पास सीमित संसाधन होने के कारण उनके द्वारा इन प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लेने की मंशा के बावजूद भी वे इसमें प्रायः कर भाग नहीं ले पाती है। वर्ष 2018–19 मे कुल 23 संस्था/समितियों/वित्त पोषित ईकाईयों को सहायता प्रदान कर, कुल 9.74 लाख रूपये व्यय किये गये। वर्ष 2019–20 मे कुल 18 संस्था/समितियों/वित्त पोषित ईकाईयों को सहायता प्रदान कर, कुल 6.32 लाख रूपये व्यय किये गये।

वर्ष 2020–21 मे 6 प्रस्ताव प्राप्त हुए है, जिन पर 2.56 लाख रूपये व्यय हुआ। वर्ष 2021–22 मे दिसम्बर 2021 तक 2 खादी संस्था व 8 ग्रामोद्योगी ईकाईयों को भाग लेने हेतु स्वीकृति जारी की गई है। अतः राजस्थान की खादी ग्रामोद्योगी संस्थाओं/समितियों/वित्त पोषित ग्रामोद्योगी इकाइयों के द्वारा उत्पादित उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

4. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रशिक्षण केन्द्र

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा उद्यमियों/व्यक्तिगत लाभार्थियों को खादी, सिलाई, बुनाई, मोबाईल रिपेयरिंग, आरातारी, कम्प्यूटर टेली–बेसिक, ब्यूटीशियन, पेन्टिंग वर्क, हस्तशिल्प आदि ट्रेडों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिये जाने हेतु बोर्ड द्वारा तीन प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जा रहे है। इन प्रशिक्षण केन्द्रो के संचालन हेतु राज्य सरकार से धनराशि/बजट प्राप्त होता है। बोर्ड के प्रशिक्षण केन्द्र पुष्कर (अजमेर), प्रशिक्षण केन्द्र सांगानेर मानसरोवर (जयपुर) एवं माऊण्ट आबू (सिरोही) में स्थापित है। इन प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से 31 मार्च 2021 तक पुष्कर में 16244, सांगानेर में 10415 एवं माउण्ट आबू में 6422 उद्यमियों/व्यक्तिगत लाभार्थियों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में पुष्कर में 560, मानसरोवर, सांगानेर, जयपुर में 320 एवं माउण्ट आबू सिरोही में 240 युवाओं को प्रशिक्षण दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है। माह दिसम्बर, 2021 तक 203 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है एवं 642 प्रक्षिणार्थी प्रशिक्षणरत है।

5. ग्रामोद्योग विकास कार्यक्रम

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामोद्योगों के विकास का कार्य अपने हाथ में लेने के बाद राज्य में ग्रोमोद्योगो का सतत् विकास हो रहा है। खादी और ग्रामोद्योग उद्योगो की सूची में से राज्य में वर्ष 1988–89 से पूर्व 18 ग्रामीण उद्योग में राज्य बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता दी जा रही थी। वर्ष 1988–89 व 1989–90 से नये उद्योगो/सेवाओं को ग्रामोद्योग की सूची में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप अब वर्तमान में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निर्देशित नकारात्मक सूची में वर्णित उद्योगो को छोड़कर सभी ग्रामोद्योग हेतु आर्थिक सहायता दी जा रही है।

देश के विभिन्न वर्ग के लोगो को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराना सरकार की हमेशा से प्राथमिकता रही है। इसी क्रम में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमन्त्री रोजगार योजना का विलय कर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के उद्देश्य से **"प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम"** के नाम से एक नई योजना की शुरूआत 14 अगस्त 2008 से की है। राष्ट्रीय स्तर पर उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग को एकमात्र नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है तथा राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड व राज्य सरकार के जिला उद्योग केन्द्र भी इस योजना के क्रियान्वयन में सहयोगी होंगे। इस योजना के अर्न्तगत उद्यम स्थापित करने के लिय 15 से 35 प्रतिशत तक के विशेष अनुदान का प्रावधान है। उक्त योजनार्न्तगत वर्तमान में आवेदन से लेकर मार्जिन मनी (अनुदान) भुगतान की सम्पूर्ण व्यवस्था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के तहत ऑन लाईन की गई है।

(अ) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.)

गत तीन वर्षो में वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 (दिसम्बर 2021 तक) में उपलब्धियां निम्न प्रकार रही है :–

क्र. विवरण	2019–20	2020–21	2021–22 (दिसम्बर 2021 तक)
1. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम(लक्ष्य)	1019	806	1088
2. बैंको को भेजे गये आवेदन पत्र	2120	2015	1089
3. बैंको द्वारा स्वीकृत आवेदन पत्र	441	578	342
4. नोडल बैंको द्वारा वितरित इकाई सं.	445	545	272
5. मार्जिन मनी वितरण (राशि लाखों में)	1320.14	1999.69	1182.52

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में स्वीकृत इकाईयों की जिलेवार सूचना सारणी संख्या 1 पर एवं वर्ष 2021–22 (दिसम्बर 2021 तक) की सूचना सारणी संख्या 1 " अ " पर सलंग्न है।

(ब) उत्पादन एवं रोजगार :–

वर्ष 2008–09 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) नाम से नवीन योजना प्रारंभ हुई जिसके अर्न्तगत, योजना में, वर्ष 2019–20, वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 (दिसम्बर 2021 तक) में खादी बोर्ड द्वारा स्थापित कराई गई ग्रामोद्योगी इकाईयों की प्रगति निम्न प्रकार है :–

वर्ष	उत्पादन (लाख रू. में)	रोजगार संख्या (अतिरिक्त)
2019–20	4141.15	2519
2020–21	6931.38	4181
2021–22 (दिसम्बर 2021 तक)	1797.28	2012

पी.एम.ई.जी.पी. योजना का वर्ष 2020–21 का जिलेवार उत्पादन एवं रोजगार का विवरण सलंग्न सारणी संख्या 2 में है एवं वर्ष 2021–22 (दिसम्बर 2021 तक) की सूचना सारणी संख्या 2 "अ" पर सलंग्न है।

6. बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम / अनुसूचित जाति कम्पोनेन्ट प्लान :–

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गत वर्ष में ग्रामोद्योगों में निर्धारित इकाई लक्ष्यों की तुलना में निम्न प्रकार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई :–

वर्ष	इकाईयां (संख्या में)	
	लक्ष्यांक	उपलब्धि
2019–2020	175	76
2020–2021	140	90
2021–2022 (दिसम्बर, 2021 तक)	180	42

7. जनजाति उपयोजना क्षेत्र कार्यक्रम :—

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाडा, प्रतापगढ़ व सिरोही जिलो के जनजाति क्षेत्रों के अन्तर्गत इकाईयों को विशेष आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। गत वर्ष में इन क्षेत्रों के अन्तर्गत लाभान्वित इकाईयों की संख्या तथा रखे गये लक्ष्यों की तुलना निम्न प्रकार है:—

वर्ष	इकाईयां (संख्या में)	
	लक्ष्यांक	उपलब्धि
2019—2020	109	52
2020—2021	84	27
2021—2022 (दिसम्बर, 2021 तक)	84	25

8. योजना व योजना भिन्न बजट :—

राज्य योजना के अंर्तगत बोर्ड द्वारा मार्केटिंग डवलपमेंट असिसटेन्स, प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन, कम्प्यूटराईजेशन ऑफ बोर्ड एण्ड सेन्टर्स एवं खादी एक नई पहल योजना आदि का संचालन किया जा रहा है। योजना भिन्न बजट के अंर्तगत खादी की बिक्री पर रिबेट एवं प्रशासनिक व्यय हेतु राज्य सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाती है। गत तीन वर्षो में योजना एवं योजना भिन्न बजट प्रावधान व व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :—

(लाख रु.)

वर्ष	योजना		योजना भिन्न	
	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय
2019—2020	441.56	314.56	4200.00	3109.94
2020—2021	389.00	226.00	4750.00	4213.51
2021—22(दिसम्बर, 2021 तक व्यय)	515.00	106.30	3500.00	1891.64

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड राज्य में अपने कार्यक्रमों के माध्यमों से राज्य के ग्रामीण अंचलों में बसे हुए ग्रामीणजन की बेरोजगारी एवं अर्द्ध बेरोजगारी दूर करने के लिये उन्हें अपने ही घर में सम्मानपूर्वक रोजगार उपलब्ध कराने एवं समाज के कमजोर वर्ग को ऊपर उठाकर आर्थिक विषमता के निवारण हेतु सतत प्रयत्नशील है।

वर्ष 2021–2022 के लक्ष्यांक एवं उपलब्धि (दिसम्बर 2021 तक)

क्र.सं.	मद / विवरण	वार्षिक लक्ष्यांक	उपलब्धि
1.	खादी उत्पादन (करोड रू. में)		
1.1	ऊनी खादी	30.95	24.54
1.2	सूती खादी	41.65	38.07
	योग :–	**72.60**	**62.61**
2.	रोजगार (संख्या)		
अ.	खादी (स्तर)	20382	18139
ब.	ग्रामोद्योग(पी.एम.ई.जी.पी.)(अतिरिक्त)	8631	2012
	योग :–	**29013**	**20151**
प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम			
3.	ग्रामोद्योगों में स्वीकृत अतिरिक्त इकाईयां (संख्या)		
अ.	कुल इकाईयों की संख्या	1088	272
ब.	कुल इकाईयों में से बीस सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 11 'अ' के अन्तर्गत	180	42
स.	कुल में से अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के अन्तर्गत स्वीकृत इकाईयों की संख्या	84	25
4.	राज्य योजनान्तर्गत बजट प्रावधान (लाख रू.)	स्वीकृत प्रावधान	व्यय
अ.	योजना बजट	515.00	106.30
ब.	योजना भिन्न बजट	3500.00	1891.64

सारणी संख्या – 1

2020–2021 ग्रामोद्योग में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में इकाइयों को सहायता उपलब्ध कराने के लक्ष्यांक एवं प्रगति संख्या

(संख्या में)

क्र.	जिला	कुल इकाईयां लक्ष्यांक	मार्जिन मनी लक्ष्यांक (राशि लाख रु. में)	माह मार्च 2021 तक स्वीकृत इकाईयां	माह मार्च 2021 तक स्वीकृत मा.मनी (लाख रु.)	बीस सूत्रीय कार्यक्रम में सूत्र संख्या 11 (अ) के अर्न्तगत कुल इकाईयो में से अनुसूचित जाति की इकाईयां	
						इकाई लक्ष्यांक	मार्च 2021 तक स्वीकृत इकाईयां
1	अजमेर	25	75.00	29	112.94	5	5
2	अलवर	25	75.00	3	10.50	5	1
3	बांसवाड़ा	24	72.00	20	36.57	5	3
4	बाड़मेर	22	66.00	7	18.05	3	1
5	भरतपुर	25	75.00	62	216.34	5	13
6	भीलवाड़ा	26	78.00	31	196.26	5	5
7	बीकानेर	22	66.00	21	58.99	3	3
8	बून्दी	22	66.00	23	38.73	3	3
9	बारां	22	66.00	10	15.06	3	1
10	चित्तौड़गढ़	28	84.00	5	15.93	7	1
11	चूरू	22	66.00	12	36.09	3	2
12	धौलपुर	23	69.00	7	17.98	3	1
13	डूंगरपुर	22	66.00	5	30.21	3	1
14	दौसा	24	72.00	34	94.35	5	5
15	श्री गंगानगर	22	66.00	22	98.04	3	3
16	जयपुर	37	111.02	11	41.00	10	1
17	जैसलमेर	22	66.00	8	16.82	3	1
18	जालौर	23	69.00	8	21.48	3	1
19	झालावाड़	22	66.00	12	43.25	3	2
20	झुन्झुनू	22	66.00	2	5.13	3	1
21	जोधपुर	32	96.00	64	388.95	8	11
22	कोटा	32	96.00	30	93.14	7	6
23	नागौर	22	66.00	18	62.40	3	3
24	पाली	23	69.00	8	31.07	3	1
25	राजसमद	22	66.00	17	66.21	3	3
26	सवाईमाधोपुर	26	78.00	1	1.05	5	0
27	सीकर	23	69.00	8	21.41	3	1
28	सिरोही	26	78.00	5	8.75	5	1
29	टोंक	24	72.00	7	18.35	5	1
30	उदयपुर	28	84.00	31	107.68	6	5
31	हनुमानगढ़	23	69.00	7	9.62	3	1
32	करौली	22	66.00	4	6.71	3	1
33	प्रतापगढ	23	69.00	13	60.63	3	2
योग		**806**	**2418.02**	**545**	**1999.69**	**140**	**90**

सारणी संख्या – 1(अ)

2021–2022 (दिसम्बर 2021) में ग्रामोद्योग में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में इकाइयों को सहायता उपलब्ध कराने के लक्ष्यांक एवं प्रगति संख्या

(संख्या में)

क्र.	जिला	कुल इकाईयां लक्ष्यांक	मार्जिन मनी लक्ष्यांक (राशि लाख रु. में)	माह दिसम्बर 2021 तक स्वीकृत इकाईयां	माह दिस. 2021 तक स्वीकृत मा.मनी (लाख रु.)	बीस सूत्रीय कार्यक्रम में सूत्र संख्या 11 (अ) के अर्न्तगत कुल इकाईयो में से अनुसूचित जाति की इकाईयां	
						इकाई लक्ष्यांक	दिस. 21 तक स्वीकृत इकाईयां
1	अजमेर	36	104.40	14	53.31	6	4
2	अलवर	35	100.92	1	8.23	6	0
3	बांसवाड़ा	27	79.17	13	41.61	6	3
4	बाड़मेर	20	66.12	4	15.57	4	1
5	भरतपुर	35	100.05	21	97.80	6	4
6	भीलवाड़ा	35	100.92	12	85.95	6	2
7	बीकानेर	38	108.75	10	34.00	6	2
8	बून्दी	29	85.26	5	9.12	5	1
9	बारां	29	82.65	3	6.84	5	1
10	चित्तौड़गढ़	35	100.92	1	1.05	6	0
11	चूरू	38	108.75	10	26.95	6	2
12	धौलपुर	29	82.65	3	4.72	5	1
13	डूंगरपुर	27	78.30	6	16.32	4	0
14	दौसा	41	134.85	24	85.51	6	4
15	श्री गंगानगर	38	108.75	16	73.24	6	2
16	जयपुर	50	143.55	5	27.24	8	2
17	जैसलमेर	23	67.86	1	1.84	4	0
18	जालौर	29	82.65	2	3.74	4	0
19	झालावाड़	35	100.92	1	8.74	6	1
20	झुन्झुनू	33	95.70	11	18.21	6	1
21	जोधपुर	50	143.55	30	224.87	8	3
22	कोटा	32	92.22	14	63.65	5	2
23	नागौर	26	73.95	11	56.58	5	2
24	पाली	27	79.17	1	5.34	5	0
25	राजसमद	29	82.65	2	3.68	5	0
26	सवाईमाधोपुर	35	100.05	3	8.96	6	0
27	सीकर	24	68.73	7	50.67	3	0
28	सिरोही	31	88.74	2	10.81	5	0
29	टोंक	29	82.65	4	13.59	5	0
30	उदयपुर	41	117.45	18	62.40	6	3
31	हनुमानगढ़	40	114.84	7	23.78	6	0
32	करौली	33	96.57	5	15.40	5	1
33	प्रतापगढ	29	82.65	5	22.80	5	0
योग		**1088**	**3156.36**	**272**	**1182.52**	**180**	**42**

सारणी संख्या –2

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में जिलेवार ग्रामोद्योगी उत्पादन एवं रोजगार, वर्ष 2020–21

क्र.सं.	जिला	उत्पादन(लाख रू.में)	रोजगार संख्या
1	अजमेर	392.72	134
2	अलवर	23.69	35
3	बांसवाड़ा	87.49	101
4	बाड़मेर	53.25	27
5	भरतपुर	728.46	556
6	भीलवाड़ा	817.03	194
7	बीकानेर	186.81	85
8	बून्दी	122.39	116
9	बारां	40.76	44
10	चित्तौड़गढ़	67.89	17
11	चूरू	140.62	30
12	धौलपुर	51.75	36
13	डूंगरपुर	121.97	80
14	दौसा	116.88	270
15	श्री गंगानगर	354.41	80
16	जयपुर	151.40	103
17	जैसलमेर	43.38	43
18	जालौर	60.92	45
19	झालावाड़	160.30	113
20	झुन्झुनू	-	13
21	जोधपुर	1645.73	739
22	कोटा	340.31	270
23	नागौर	235.91	114
24	पाली	96.67	65
25	राजसमद	197.67	147
26	सवाईमाधोपुर	-	3
27	सीकर	55.84	57
28	सिरोही	32.99	30
29	टोंक	37.43	128
30	उदयपुर	295.54	276
31	हनुमानगढ़	35.62	30
32	करौली	6.27	19
33	प्रतापगढ	229.28	181
	योग	**6931.38**	**4,181**

सारणी संख्या –2(अ)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में जिलेवार ग्रामोद्योगी उत्पादन एवं रोजगार, वर्ष 2021–22 (माह दिसम्बर 21 तक)

क्र.सं.	जिला	प्रस्तावित उत्पादन मूल्य (लाख रू.में)	रोजगार संख्या
1	अजमेर	80.96	102
2	अलवर	13.35	20
3	बांसवाड़ा	62.41	66
4	बाड़मेर	23.40	26
5	भरतपुर	146.70	154
6	भीलवाड़ा	134.90	159
7	बीकानेर	51.10	89
8	बून्दी	13.68	20
9	बारां	8.26	17
10	चित्तौड़गढ़	2.10	3
11	चूरू	40.42	42
12	धौलपुर	7.80	8
13	डूंगरपुर	25.48	28
14	दौसा	128.21	125
15	श्री गंगानगर	110.86	112
16	जयपुर	40.86	65
17	जैसलमेर	2.90	3
18	जालौर	5.90	7
19	झालावाड़	14.15	16
20	झुन्झुनू	28.10	40
21	जोधपुर	340.20	285
22	कोटा	95.80	123
23	नागौर	85.52	110
24	पाली	8.20	12
25	राजसमद	5.87	8
26	सवाईमाधोपुर	13.46	19
27	सीकर	80.10	93
28	सिरोही	17.62	22
29	टोंक	20.40	28
30	उदयपुर	93.60	110
31	हनुमानगढ़	35.67	42
32	करौली	25.10	32
33	प्रतापगढ	34.20	26
	योग	**1797.28**	**2012**